न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपुतली—बहरोड़

पीठासीन अधिकारी — श्री पंकज बड़गुजर आर.ए.एस

वाद संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
157 / 2023	03.05.2023	20.12.2023

उनवान

1. मिन्टू सिंह पुत्र श्री जय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना

.........वादी

बनाम

1. कृष्ण सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना

.......असल प्रतिवादी

2. तहसीलदार नीमराना बहैसियत लैण्डहोल्डर तह0 नीमराना

.....तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक एवं दुरस्ती इन्द्राज व हु.ई.दवामी

उपस्थिति......—1. श्री अजय सिंह यादव एड0 वादी की ओर से

2.असल प्रतिवादी की ओर से इकबाल जवाब दावा

:—निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई दावे के सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:—

वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया की हाल आराजी ख.नं.1801 / 0.47,1804 / 0.43,1805 / 0.55 वाके ग्राम गिगलाना मिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी है जो वादी व प्रतिवादी को अपने पिता जयसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है। जयसिंह कुल छह वारिस रहे हैं मृतक जयसिंह का उक्त आराजी में 1 / 3 भाग था इस प्रकार मिन वादी का 1 / 18 भाग विरासत में प्राप्त हुआ है। जिस पर वादी काबिज काश्त है।

मृतक जयसिंह के कुल छह वारिसों में से मिनवादी को छोड़कर अन्य पांच वारिसान जो कि सरती देवी बेवा जयसिंह,हनुमान सिंह , कृष्ण सिंह , वीरसिंह पुत्रान जयसिंह व अंगूरी बाई पुत्री जयसिंह ने विवादित आराजी में अपना 5 / 18 हिस्सा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 09.10.2006 को ओमवती देवी पत्नी रघुवीर सिंह व कृष्णा देवी पत्नी बलवंत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सांतो को बेचान कर दिया जिस बेचान का इंतकाल संख्या 878 खरीदारान के हक में स्वीकृत हो चुका हैं। जिस इंतकाल नम्बर 878 का अमल जमाबंदी संवत 2065 में आ चुका है। इंतकाल संख्या 878 का अमल जमाबंदी संवत 2065 में करते समय राजस्व कर्मचारियान द्वारा मिनवादी का हिस्सा बदस्तुर रखने के बजाय मिनवादी के स्थान पर असल प्रतिवादी कृष्ण सिंह पुत्र जयसिंह का नाम दर्ज कर दिया तथा मिनवादी का नाम ताहाल तक विलुप्त कर दिया है। इसलिए वादीगण को यह बात पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिकी किए जाने की प्रार्थना की है:—

यह है कि डिकी इस्तकरारहक जरिये दुरूस्ती इंद्राज इस अमर की सादिर असी फरमाई जावे कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (बहरोड़)

कृष्ण सिंह पुत्र श्री जयसिंह का नाम विधि विरूद्व तौर पर दर्ज है जबकि वह अपना 1/18 हिस्सा दिनांक 09.10.2006 को जरिए बैनामा बेचान कर चुका है ऐसी सूरत में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी मिन्टू सिंह पुत्र श्री जयसिंह का नाम दर्ज कर वादी को 1/18 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

ख. यह है कि डिकी हुक्म ईमतनाई दवामी से प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद फरमाया जावे कि वह तादुरूस्ती राजस्व रिकार्ड,विवादित आराजी में विधि विरूद्व तौर पर उसके नाम दर्ज 1/18 हिस्सा, को रहन,बय,हिबा आदि के द्वारा दिगर जगह मुन्तकिल नहीं करें। वादी के कब्जा काश्त व उपयोग में दखल मजाहमत कारित नहीं करें। तादुरूस्ती मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे।

ग. यह है कि अन्य अनुतोष जो करीने इंसाफ हो सादिर अता फरमाए जावें।

घ. यह है कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलावाया जावें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद तामिल असल प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया एवं वाद को डिग्री किए जाने की सहमती दी । वादी व प्रतिवादी ने लिखित राजीनामा भी पेश किया जिसमें वाद को बरूवे राजीनामा डिकी किया जाना दोनों पक्षों ने स्वीकार किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वादी ने अपने वादी की पुष्टी में नकल जमाबंदी संवत 2061 नकल जमाबंदी संवत 2065 नकल जामबंदी संवत 2069–72 नकल जामबंदी संवत 2073–76 नकल बनामा दिनांक 09.10.2006 नकल इंतकाल संख्या 878 पेश किए है।

कील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई हमने बहस पर मनन किया तथा त्रावली का अवलोकन किया नकल जमाबंदी संवत 2061 के अवलोकन से साबित है कि न्टू सिंह वादी आराजी विवादित के 1/18 भाग का खातेदार था तथा 5/18 भाग के ब्रातेदार मृतक जयसिंह के अन्य वारिसान थे जिन्होने अपने 5/18 भाग का बेचान देनांक 09.10.2006 को कर दिया था जिस बेनामा की प्रति पत्रावली के संलग्न है। नकल तकाल संख्या 878 के अवलोकन से साबित है कि 5/18 भाग का इंतकाल केतागण के नाम दर्ज व मंजूर हुआ तथा 1/18 भाग का इंद्राज बदस्तूर रहा इस इंतकाल का जमाबंदी में अमल करते समय वादी मिन्टू सिंह के बजाय कृष्ण सिंह के नाम का ही अमल कर दिया गया जबकि कृष्ण सिंह अपने 1/18 भाग का बेचान कर चुका था जो अमल ताहाल जमाबंदी में बदस्तुर चला आ रहा है। असल प्रतिवादी ने अपने इकबाल जवाब दावा में वादी के वाद को स्वीकार किया है तथा राजीनामा में भी वादी के वाद को डिकी किया जाना स्वीकार किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं इकाल जवाब दावा व राजीनामा के अनुसार वादी का वाद बाखूबी साबित होता है वाद वादी डिकी किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बहकवादी विरूद्व असल प्रतिवादी बरूऐ राजीनामा डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर हाल आराजी ख.नं.1801/0.47,1804/0.43,1805/0.55 वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना के 1/18 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल जमाबंदी में 1/18 भाग पर जो अमल असल प्रतिवादी के नाम हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा वाद वादी स्वंय वहन

खण्ड अधिकारी
ना (कोटपूतली-बहरोड़)

करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो ।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी – श्री पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस)

वाद संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
157 / 2023	03.05.2023	20.12.2023

उनवान

1. मिन्टू सिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना

वादी

बनाम

1. कृष्ण सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना

असल प्रतिवादी

2. तहसीलदार नीमराना बहैसियत लैण्डहोल्डर तह0 नीमराना

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक एवं दुरस्ती इन्द्राज व हु.ई.दवामी

उपस्थिति......

1. श्री अजय सिंह यादव एड0 वादी की ओर से
2. असल प्रतिवादी की ओर से इकबाल जवाब दावा

दिनांक– 20.12.2023

पर्चा:--डिक्री

वाद वादी बहक वादी विरुद्ध असल प्रतिवादी बरूऐ राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी आराजी खसरा नम्बर हाल आराजी ख.नं.1801 / 0.47,1804 / 0.43,1805 / 0.55 वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना के 1 / 18 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तथा हाल जमाबंदी में 1 / 18 भाग पर जो अमल असल प्रतिवादी के नाम हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा वाद वादी स्वंय वहन करेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराई जाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)